अत्यंत महत्वपूर्ण

सं0–2715/26–3–2011–4(188)/93

प्रेषक,

बी0 एल0 मीणा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2011

विषयः– शादी/बीमारी अनुदान योजनान्तर्गत लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 936/26–3–2011–4(188)/93, दिनांक 17.03.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शादी/बीमारी अनुदान योजनान्तर्गत धनराशि लाभार्थी को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने, उक्त योजना से संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अनिवार्य रूप से आयोजित किये जाने इत्यादि के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस संबंध में आपको अवगत कराना हैं कि इस योजना के सुचारू कियान्वयन को लेकर शासन में अनेक शिकायतें विभिन्न जनपदों से प्राप्त हो रही हैं, जिसमें जनपदों में आवेदन पत्रों के लम्बित रहने, उनका समय से निस्तारण न होने तथा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित न किये जाने के संबंध में है।

3– आप अवगत है कि शादी/बीमारी अनुदान योजना समाज के निर्धन वर्ग के लिये चलायी जा रही अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के कियान्वयन में संबंधित व्यक्ति को शासन की ओर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के साथ ही यह भी अत्यंत आवश्यक है कि उक्त धनराशि लाभार्थी को निर्धारित समय पर उपलब्ध करा दी जाय, क्योंकि शादी तथा बीमारी दोनों मामलों में धनराशि का समय से मिल जाना महत्वपूर्ण होता है।

4– अतः इस संबंध में मुझे पुनः आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के सुचारू संचालन हेतु विशेष ध्यान देते हुए लम्बित आवेदन पत्रों का तत्काल निस्तारण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0 एल0 मीणा)
सचिव

.....2

श्री संजय यू0ओ0

संख्या–2715(1)/26–3–2011 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– निदेशक, जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5– वेबमास्टर, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

श्री संजय यू0ओ0